

बिहार विधान सभा सचिवालय
विज्ञापन संख्या-05/2024
अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय विज्ञापन संख्या-05/2024 के अंतर्गत पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक एवं अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिनांक 23.02.2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 03.09.2025 को मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन किया गया था। मुख्य (लिखित) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके मेधा के अनुसार आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है:-

पद-पुस्तकालय सहायक

कोटि-अनुसूचित जाति

32500242

कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग

32500392

पद-उर्दू सहायक

कोटि-अनारक्षित

32500379

कोटि-पिछड़ा वर्ग

32500650

पद-अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी)

कोटि-अनारक्षित (महिला)

32500577

कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग

32500804

नोट:-

- (i) लिपिकीय/टंकण भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षाफल तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उक्त सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 22.09.2025 को 11:30 बजे पूर्वा० से बिहार विधान सभा के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे:-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card)

3. दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
4. मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
5. इंटर/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
6. पुस्तकालय सहायक पद हेतु-स्नातक (पुस्तकालय विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)/उर्दू सहायक पद हेतु-स्नातक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)/ अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी) पद हेतु-स्नातक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-

- (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
- (a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
 - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- (ख) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
- (a) जाति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
- (a) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - (b) आय प्रमाण पत्र
 - (c) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र [सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक-26.02.2019 के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र]

8. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो)।
9. प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
10. अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच में स्वयं उपस्थित नहीं होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

Khyati Singh
प्रभास सचिव 18/09/25
बिहार विधान सभा